राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(270)एम.ई./ग्रुप–1/2017 जयपुर, दिनांक : 11 JAN 2018

आदेश

इस विभाग के आदेश कमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 दिनांक 19.06.2017 के द्वारा डॉ0 गणपतराज पुरी (मेरिट क्रमांक 72/पिछड़ा वर्ग.,जन्म तिथि 01.06.1976) को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ0 गणपतराज पुरी को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था।

डॉ0 गणपतराज पुरी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश कमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 दिनांक 17.07.2017 के द्वारा डॉ0 पुरी के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 19.07.2017 तक की अभिवृद्धि की गयी। डॉ0 पुरी द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नही किया जाकर कार्यभार ग्रहण काल में पुनः अभिवृद्धि का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के पत्र कमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 दिनांक 28.08.2017 के द्वारा डॉ0 पुरी के कार्यभार ग्रहण काल में 15 दिवस तक की अभिवृद्धि की गयी। डॉ0 पुरी द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नही किया जाकर कार्यभार ग्रहण काल में पुनः अभिवृद्धि का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के पत्र कमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 दिनांक 25.09.2017 के द्वारा डॉ0 पुरी के कार्यभार ग्रहण काल में पुनः 15 दिवस तक की अभिवृद्धि कर निर्देशित किया गया था कि निर्धारित समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करे अन्यथा आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज जोधपुर के पत्रांक एफ–2/ई/आमवि./जो./2017/20045 दिनांक 22.12.2017 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ0 गणपतराज पुरी ने दिनांक 22.12.2017 तक वरिष्ठ प्रदर्शक पैथालोजी के पद पर कार्यभार ग्रहण नही किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 पुरी उक्त नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक नही है। अतः डॉ0 पुरी के द्वारा नवनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नही करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 दिनांक 19.06.2017 के द्वारा उनका वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(33)भर्ती/गोपनीय/2013–14/210 दिनांक 06.09.2016 एवं एफ. 7(33)भर्ती 'ख'/2013–14/ 771 दिनांक 06.10.2016 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
4. डा0 गणपतराज पुरी पुत्र श्री कालू पुरी मकान नं. 102 ग्राम पोस्ट भानवाल, वाया जयनगर, जिला–नागौर(राज.)–341518 (**रजिस्टर्ड डाक से**)।
5. सहायक प्रोग्रामर चिकित्सा शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव